

मत्स्य निदेशालय

नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, बिहार, पटना

प्रेषक,

अभिषेक रंजन, भा०प्र०से०
निदेशक मत्स्य।

सेवा में,

सं० मत्स्य निदेशक (मु०),
मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।

मत्स्य/पटना, दिनांक 29/5/2025

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना ₹3119.42 लाख (इकतीस करोड़ उन्नीस लाख बयालीस हजार रु०) मात्र की लागत व्यय पर स्वीकृत योजना हेतु आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न विवरणी-1 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6एस०एस०(6)०७/2020-1992 दिनांक-07.05.2025 के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत कुल ₹3119.42 लाख (इकतीस करोड़ उन्नीस लाख बयालीस हजार रु०) मात्र के अन्तर्गत प्रथम चरण में कुल ₹1029.40860 लाख (दस करोड़ उन्तीस लाख चालीस हजार आठ सौ साठ रु०) मात्र का आवंटन, व्यय का वहन करने हेतु आवंटित किया जाता है।

2. इस आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं०- 02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-101- अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0117-मत्स्य सम्पदा- सात निश्चय-2, विपत्र कोड-02.2405001010117 विषय शीर्ष 0117.13.01-कार्यलय व्यय मद, विषय शीर्ष 0117.20.03-प्रशिक्षण व्यय मद, विषय शीर्ष 0117.21.01-सामग्री और पूर्तियाँ मद एवं विषयशीर्ष 0117.33.01-सब्सिडी मद, तथा मांग सं०- 02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102-मत्स्य सम्पदा-सात निश्चय-2, विपत्र कोड-02.2405007890102 विषय शीर्ष 0102.33.01-सब्सिडी मद तथा मांग सं०-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0110-मत्स्य सम्पदा- सात निश्चय-2, विपत्र कोड-02.2405007960110 विषय शीर्ष 0110.33.01-सब्सिडी मद के अंतर्गत विकलित किया जाएगा।
3. योजनान्तर्गत आवंटित राशि को बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित कर व्यय की जाएगी जिसे लक्ष्यानुसार जिलों को अंतरित किया जाएगा।
4. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि०(2) दिनांक 17.04.1998, वित्त विभाग का पत्रांक 345 दि० 25.03.2021 (जिसके तहत योजनान्तर्गत उपबंधित राशि से अधिक व्यय निषेध होगा) के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा :-
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम-475 का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक करें, ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।
6. आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें अन्यथा इसकी सारी जबाबदेही आपकी होगी।
7. वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25.03.2026 तक अवश्य भेज दें।
8. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाएगा।

9. निकारी की गई राशि का विस्तृत विपत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को विधिवत समर्पित किया जाएगा।

अनुलग्नक :- विवरणी-1 में पृष्ठ-2

विश्वासभाजन

निदेशक मत्स्य

ज्ञापांक : म०/बजट-08/202510...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 29/5/2025 /

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, (संबंधित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट-08/202510...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 29/5/2025 /

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ जिला पदाधिकारी, (संबंधित)/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, (संबंधित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट-08/202510...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 29/5/2025 /

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ विभागीय योजना एवं बजट शाखा, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/संयुक्त मत्स्य निदेशक (सभी)/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (संबंधित)/रोकड़पाल, मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट-08/202510...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 29/5/2025 /

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट-08/202510...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 29/5/2025 /

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाए।

निदेशक मत्स्य

विवरणी-I

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(राशि लाख में)

नीजी चौर इनपुट सहित (हे० में) इकाई लागत 8.70 लाख/हे० (लाभुक आधारित)																										
क्र०	जिला	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	विषय शीर्ष 0117.33.01-संक्षिप्ती मद											प्रशासनिक व्यय				विषय शीर्ष 0110.33.01-संक्षिप्ती मद								
			अन्य वर्ग (अनुदान 50 प्रतिशत)					अति पिछड़ी जाति (अनुदान 70 प्रतिशत)						कुल वर्तमान आवंटन (शत प्रतिशत) (6+9)		0117.13.01-कार्यालय व्यय		0117.20.03-प्रशिक्षण व्यय		अनु०जाति (अनुदान 70 प्रतिशत)		कुल वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)		अनु० जनजाति (अनुदान 70 प्रतिशत)		कुल वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)
			जलक्षेत्र (हे०)	अनुदान राशि	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)	जलक्षेत्र (हे०)	अनुदान राशि	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)	जलक्षेत्र (हे०)	अनुदान राशि	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	पटना	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना।	10.00	43.50000	14.35500	3.00	18.27000	6.02910	20.38410	1.26300	0.41700	0.25000	0.08200	2.00	12.18000	4.01940										
2	सुपौल		22.00	95.70000	31.58100	10.00	60.90000	20.09700	51.67800	3.11400	1.02800	0.61000	0.20100	5.00	30.45000	10.04850										
3	मधेपुरा		5.00	21.75000	7.17750	1.00	6.09000	2.00970	9.18720	0.50500	0.16700	0.10000	0.03300	0.00	0.00000	0.00000										
4	सहरसा		25.00	108.75000	35.88750	15.00	91.35000	30.14550	66.03300	4.62800	1.52700	0.91000	0.30000	2.00	12.18000	4.01940										
5	पश्चिम बंगाल		15.00	65.25000	21.53250	3.00	18.27000	6.02910	27.56160	1.68300	0.55500	0.34000	0.11200	1.00	6.09000	2.00970	1	6.09000	2.00970							
6	पूर्वी बंगाल		20.00	87.00000	28.71000	15.00	91.35000	30.14550	58.85550	3.78800	1.25000	0.75000	0.24800	10.00	60.90000	20.09700										
7	सीतामढ़ी		20.00	87.00000	28.71000	10.00	60.90000	20.09700	48.80700	3.78800	1.25000	0.75000	0.24800	3.00	18.27000	6.02910										
8	मुजफ्फरपुर		20.00	87.00000	28.71000	15.00	91.35000	30.14550	58.85550	3.36700	1.11100	0.66000	0.21800	5.00	30.45000	10.04850										
9	वैशाली		15.00	65.25000	21.53250	7.00	42.63000	14.06790	35.60040	2.02000	0.66700	0.40000	0.13200	2.00	12.18000	4.01940										
10	समस्तीपुर		15.00	65.25000	21.53250	10.00	60.90000	20.09700	41.62950	1.51500	0.50000	0.30000	0.09900	5.00	30.45000	10.04850										
11	मधुबनी		16.00	69.60000	22.96800	15.00	91.35000	30.14550	53.11350	2.10400	0.69400	0.42000	0.13900	5.00	30.45000	10.04850										
12	दरभंगा		15.00	65.25000	21.53250	5.00	30.45000	10.04850	31.58100	1.85200	0.61100	0.37000	0.12200	2.00	12.18000	4.01940										
13	अररिया		10.00	43.50000	14.35500	5.00	30.45000	10.04850	24.40350	1.09400	0.36100	0.22000	0.07300	3.00	18.27000	6.02910	1	6.09000	2.00970							
14	किशनगंज		13.00	56.55000	18.66150	11.00	66.99000	22.10670	40.76820	1.43100	0.47200	0.29000	0.09600	3.00	18.27000	6.02910	1	6.09000	2.00970							
15	पूर्वार्ध		10.00	43.50000	14.35500	10.00	60.90000	20.09700	34.45200	2.02000	0.66700	0.40000	0.13200	2.00	12.18000	4.01940	2	12.18000	4.01940							
16	कटिहार		10.00	43.50000	14.35500	6.00	36.54000	12.05820	26.41320	1.76800	0.58300	0.35000	0.11500	4.00	24.36000	8.03880	1	6.09000	2.00970							

निदेशक मन्त्र

निदेशक मत्स्य